संख्याः 1913 / 33–3–2016– 199 / 2016

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 14 जुलाई जून, 2016

विषयः प्रदेश 'मोबाइल बेस्ड एसेट मैपिंग–एम0 नेड' योजना के संचालन किये जाने हेतु मार्ग निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 19011(57)/2/2014–ई0–पंचायत, दिनांकः 30 अप्रैल, 2015 एवं 19011(57)/2/2014–ई0– पंचायत, दिनांकः 11 जून, 2015 तथा दिनांक 8–9 अप्रैल, 2016 को गुवाहटी में सम्पन्न हुई राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान की कार्यशाला में अपर सचिव, भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में पंचायती राज संस्थाओं के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाली समस्त अचल परिसम्पत्तियों (एसेट्स) की मैपिंग **'मोबाइल बेस्ड एसेट मैपिंग' योजना के** अन्तर्गत किये जाने सम्बंधी निर्देश दिए गए है। योजना अन्तर्गत प्रदेश में ग्राम पंचायतों के भौगोलिक परिक्षेत्र में आने वाली समस्त अचल परिसम्पत्तियों (एसेट्स) की मैपिंग की प्रकिया का कार्यान्वयन ग्राम पंचायत स्तर पर इन्यूमेटरों **(Spatial Enumerators)** के माध्यम से योजना बनाकर निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाना है।

इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायतों में **'मोबाइल बेस्ड एसेट मैपिंग' योजना** को सफल बनाने हेतु निम्नलिखित रूप से कार्यवाही की जानी है–

योजना का उद्देश्य

1. प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के भौगोलिक परिक्षेत्र में भौतिक रूप से उपलब्ध समस्त अचल परिसम्पत्तियों (एसेट्स) की जी.आई.एस. मैपिंग का कार्य प्राथमिक रूप से किया जाना।
2. उक्त मैपिंग से जी.आई.एस. आधारित नियोजन तथा त्रुटि रहित निर्णय लेने में सरलता।

योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया

1. भारत सरकार द्वारा अचल सम्पत्तियों की मैपिंग हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन का निर्माण किया गया है, जिसका नाम एम–एसेट है, तथा इस मोबाइल एप्लीकेशन पर एम–एसेट पर मोबाइल बेस एसेट मैपिंग किये जाने से पूर्व पंचायतों को नेशनल एसेट डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर पर सभी अचल परिसम्पत्तियों के आंकड़े भरना अनिवार्य होगा तथा इसके पश्चात् ही एम–एसेट पर परिसम्पत्तियों की फोटो एवं जी.आई.एस. कोआर्डीनेट्स (Latitude & Longitude) को चिन्हित कर डाटा अपलोड किया जा सकेगा एवं सम्पत्तियों को मैप पर देखा जा सकेगा।

2. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मोबाइल बेसड एसेट मैपिंग–एम.नेड के सम्बन्ध में समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन कर कार्यक्रम निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु पंचायतों को निर्देशित किया जायेगा।
3. योजनान्तर्गत जनपदों द्वारा इन्यूमरेटर (**Spatial Enumerators**) का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा (जिसका उल्लेख आगे के प्रस्तरों में किया गया है)। प्रशिक्षण उपरान्त सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की अचल परिसम्पत्तियों को एम–एसेट पर मैप करने का कार्य 30 सितम्बर 2016 तक पूर्ण किया जायेगा। जनपद स्तर से यह कार्य जिला पंचायत राज अधिकारी तथा सम्बन्धित जिला परियोजना प्रबन्धक की देखरेख में किया जायेगा।
4. उक्त एसेट मैपिंग का कार्य सम्बन्धित इन्यूमरेटर द्वारा एन्ड्रायड बेसड मोबाइल जिसमें जी. पी.एस. की सुविधा सक्रिय हो, से किया जाना ही सम्भव होगा (ऐसे मोबाइल का न्यूनतम स्पेसिफिकेशन परिशिष्ट–1 पर संलग्न है)। इस कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मानदेय एवं टी.ए./डी.ए. इत्यादि हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गयी है, जोकि भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय खाते में अवमुक्त किया जाएगा।
5. भारत सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु एन.आई.सी. को टेक्नोलॉजी पाटर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है तथा जनपद स्तर पर नियुक्त जिला सूचना अधिकारी (डी. आई.ओ.), एन.आई.सी. इस योजना के सफल क्रियान्वयन तथा पंचायतों द्वारा किये गये एसेट मैपिंग के दौरान सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं के निराकरण में तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।
6. पंचायतों द्वारा एसेट मैपिंग का कार्य पूर्ण कर जि.पं.रा.अ.एवं जिला परियोजना प्रबन्धक द्वारा अपलोड की गई फोटो तथा Latitude & Longitude की गुणवत्ता निर्धारित करने के उपरान्त सभी एसेट्स को पब्लिस किया जायेगा, जिससे कि सभी एसेट नेशनल एसेट डायरेक्टरी की वेबसाइट www.assetdirectory.gov.in की "Assets on Google Map" नामक रिर्पोट पर देखा जा सकेगा।

Spatial Enumerators का चयन।

1. प्रदेश में ग्राम पंचायतों के भौगोलिक परिक्षेत्र में आने वाली समस्त अचल परिसम्पत्तियों की मैपिंग की प्रकिया का कार्यान्वयन ग्राम पंचायत स्तर पर मुख्यतः ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से कराया जाये।
2. सचिवों की सीमित संख्या को देखते हुए इन्यूमरेटर के रूप में किसी जागरूक ग्रामवासी विशेषरूप से विद्यालयों में भौगोलिक विभाग (या एलाइड विषय) के विद्यार्थी जो कि स्वैच्छिक रूप से उक्त कार्य हेतु इच्छुक हो एवं उस ग्राम पंचायत में ही निवास करता हो, अथवा सफाई कर्मचारियों को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा नामित किया जा सकता है।
3. ग्राम पंचायतों की अचल परिसम्पित्तयों के एम–एसेट पर मैपिंग की जिम्मेदारी सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिव की होगी तथा जनपद स्तर पर इस कार्य के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण की जिम्मेदारी जिला पंचायत राज अधिकारी की होगी।

प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण स्थल–

1. एसेट मैपिंग हेतु **इन्यूमेटरों को प्रशिक्षण** दिए जाने का कार्य जिला पंचायत अधिकारी के मार्गदर्शन में जनपद में राजीव गॉधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अन्तर्गत कार्यरत जिला परियोजना प्रबंधकों द्वारा किया जाएगा। समस्त जिला परियोजना प्रबन्धकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में दिनांक 14 एवं 15 मार्च, 2016 को पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भेजे गये विशेषज्ञों से एम–एसेट सॉफ्टवेयर तथा एसेट मैपिंग की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह मास्टर ट्रेनर विशिष्ट इन्यूमेरटरों को जनपद तथा क्षेत्र पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण देने का कार्य पूर्ण करेंगे। जिन जनपदों में जिला परियोजना प्रबंधकों की नियुक्ति नही है वहॉ पर सम्बन्धित उपनिदेशक(पं0) द्वारा मंडल के अन्य जनपदों में कार्यरत जिला परियोजना प्रबंधकों से प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराया जाएगा।
2. जनपदों द्वारा उक्त प्रशिक्षण का कार्य जिला तथा क्षेत्र पंचायत स्तर पर किया जा सकता है। जनपदों द्वारा प्रशिक्षण एवं सम्बन्धित कार्य हेतु चयनित किए गए **इन्यूमेटरों** का विवरण निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र. को उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षण आयोजन हेतु जनपद/विकास खण्ड स्तर पर आवश्यक ऐसे स्थल/स्थलों का विवरण चयनित करना होगा जहॉ प्रशिक्षण हेतु कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर एवं इंटरनेट की व्यवस्था उपलब्ध हो।
3. प्रशिक्षण से पूर्व सभी जनपदों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारिणी तथा प्रशिक्षण समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर प्रशिक्षित किये गये **इन्यूमेटरों** की सूची निदेशक, पंचायती राज को उपलब्ध करायी जायेगी।

योजना के अन्तर्गत कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण

राज्य स्तर

1. योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर से निदेशक, पंचायती राज को अधिकृत किया गया है।

निदेशालय स्तर पर

2. योजनान्तर्गत कार्यों का अनुश्रवण तथा सहायता हेतु राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित एस.पी.एम.यू. एवं एन.आई.सी. में गठित तकनीकी हेल्प डेस्क द्वारा किया जायेगा। निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र. द्वारा शासन को उक्त पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाना।
3. निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र. द्वारा भारत सरकार को समय–समय पर कार्य की प्रगति रिपोर्ट तथा धनराशि के उपभोग प्रमाण–पत्र को उपलब्ध कराते हुए शेष धनराशि की मांग।
4. जनपदों को कार्य पूर्ण करने हेतु समय–समय पर निर्देश उपलब्ध कराया जाना।

जनपद स्तर पर

1. शासन एवं निदेशालय स्तर से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन कराया जाना।
2. योजना के अन्तर्गत एम–एसेट ट्रेनिंग हेतु उपरोक्तानुसार उचित प्रशिक्षण स्थल का चयन।
3. विशिष्ट इन्यूम्रेटर्स का चयन तथा निदेशालय को उनकी सूची उपलब्ध कराया जाना।
4. विशिष्ट इन्यम्रेटर्स का मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण सुनिश्चित कराना तथा निदेशालय को कराये गये प्रशिक्षण की रिपोर्ट (उपस्थिति पंजिका, फोटाग्राफ, प्रशिक्षणार्थियों का फीडबैक) उपलब्ध कराया जाना।

   इन्यूम्रेटर्स द्वारा एम–एसेट की मैपिंग कार्य का अनुश्रवण तथा यह सुनिश्चित करना कि सभी ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी अचल सम्पत्तियों की मैपिंग पूर्ण कर ली गयी है।

वित्तीय व्यवस्था–

1. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित तीन मदों में वित्तीय व्यवस्था की गयी है–
   - योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण आयोजन हेतु लगभग धनराशि रू0 175/– प्रति ग्राम पंचायत निर्धारित की गयी है जिसको निदेशक, पंचायती राज द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी के पदनाम से संचालित जनपद स्तरीय राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में अवमुक्त की जाएगी। इस कार्य हेतु जनपद में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए उपलब्ध खाते का प्रयोग किया जाएगा।
   - इन्यूमेरटर के लिए योजना में एसेट मैपिंग का कार्य पूर्ण करने हेतु किराये पर मोबाइल फोन लेने, मानदेय एवं टी.ए./डी.ए., इत्यादि की व्यवस्था की गयी है। जनपदवार आवंटित धनराशि का 50 प्रतिशत इन्यूमेरटर के प्रशिक्षण का कार्य सम्पन्न होने तथा धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जाएगी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि एसेट मैपिंग का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् की जाएगी।
   - एसेट मैपिंग पर प्रशिक्षण देने, मैप किये गये एसेट की गुणवत्ता, सत्यापन तथा प्रकाशित करने की जिम्मेदारी जिला परियोजना प्रबन्धक की होगी। जिला परियोजना प्रबन्धकों द्वारा मास्टर ट्रेनर के रूप में उक्त कार्यों हेतु मानदेय की व्यवस्था की गयी है।
2. योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा इन्यूमेटरों को दिए जाने वाले मानदेय/टी.ए. डी.ए. तथा मास्टर ट्रेनर्स को देय मानदेय का निर्धारण ग्राम पंचायत सचिवों की संख्या के आधार पर जनपदों को अवमुक्त किया जायेगा।

इस प्रकार जनपद उपर्युक्त रूप से ग्राम पंचायत की अचल परिसम्पत्तियों की मैपिंग का कार्य संलग्न समय–सारिणी (प्रारूप–2) के अनुसार आयोजित कराना सुनिश्चित् करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।
3. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं.), उ.प्र.।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
5. श्रीमती संघमित्रा त्रिपाठी, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
6. श्री सुमित त्रिपाठी, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

JR- 1

Annexure III

Minimum / Recommended Specifications: Mobile / Tablet

The following are the minimum specifications that may be considered

ITEM	MINIMUM SPECIFICATION
General	
Processor	Minimum 1Ghz Dual Core or above
SIM	GSM GPRS 3G
Platform	
Operating System	**Recommended:** Android Jellybean 4.1 and above Supported: Android 2.3 and above
Memory	
RAM	Minimum 1 GB RAM and above 512 MB RAM gives issues while taking/storing
Storage	
Internal Storage	**Recommended:** 4GB ~ 8 GB **Supported:** 1 GB
Additional SD Memory Card for storage	**Recommended:** 32 GB (for photos) Supported: 8GB ~ 32 GB
Camera	
Primary Camera	**Recommended:** 5 mega pixels Supported: 3 Megapixel and above
Navigation	
GPS	GPS with A-GPS support
Battery	
Battery Type	Min 1600 mAh
Internet Browsing Time	Recommended: 8 hours Battery bank 10,000 mAh (Rs 1000) for remote

प्रारूप–2

'मोबाइल बेस्ड एसेट मैपिंग–एम0 नेड' योजना की मुख्य गतिविधियों के संचालन हेतु समय–सारिणी

क0 सं0	गतिविधि	कार्यदायी संस्था/ विभाग/ व्यक्ति	अगस्त माह 2016				सितम्बर माह 2016			
			प्रथम सप्ताह	द्वितीय सप्ताह	तृतीय सप्ताह	चतुर्थ सप्ताह	प्रथम सप्ताह	द्वितीय सप्ताह	तृतीय सप्ताह	चतुर्थ सप्ताह
1	सघन अभियान के रूप में पंचायती राज संस्थाओं/ समकक्षी निकायों ने उपलब्ध परिसम्पत्तियों को नेशनल एसेट डायरेक्ट्री (नेड) में इन्ट्री किया जाना।	जिला पंचायत राज अधिकारी के मार्गदर्शन में समस्त जिला परियोजना प्रबंधक/ ए0डी0ओ0–पं0/ ग्राम पंचायत सचिव	*	*						
2	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मोबाइल बेस्ड एसेट मैपिंग–एम0 नेड के सम्बंध में समस्त विभागों के साथ बैठक किया जाना।	जिला पंचायत राज अधिकारी सम्बन्धित जनपद	*		*		*		*	
3	इन्यूमेटरें (Spatial Enumerators) का चयन	जिला पंचायत राज अधिकारी सम्बन्धित जनपद		*	*					
4	इन्यूमेटरें (Spatial Enumerators) से सम्बन्धित सूचना को विभाग को उपलब्ध कराना।	जिला पंचायत राज अधिकारी के मार्गदर्शन में समस्त जिला परियोजना प्रबंधक			*					
5	राज्य स्तर पर इन्यूमेटरें (Spatial Enumerators) के विवरण का संकलन।	योजना के नोडल अधिकारी के नेतृत्व में स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट				*				
6	इन्यूमेटरें (Spatial Enumerators) का प्रशिक्षण	जिला पंचायत राज अधिकारी के मार्गदर्शन में समस्त जिला परियोजना प्रबंधक				*	*			
7	इन्यूमेटरें (Spatial Enumerators) द्वारा एसेट की मैपिंग किया जाना।	चयनित विशिष्ट इन्यूमेटर					*	*		
8	ग्राम पंचायत से डाटा अपलोड करने की प्रकिया का अनुश्रवण एवं वेलिडेट करना	जिला पंचायत राज अधिकारी के मार्गदर्शन में समस्त जिला परियोजना प्रबंधक/ ए0डी0ओ0–पं0/ ग्राम पंचायत सचिव						*		
9	जनपद से अपलोड किए गए डाटा को जाचें कर प्रकाशित करना।	एन0आई0सी0							*	*
10	पूरी प्रकिया की अवधि में तकनीकि सहयोग	जनपद एवं राज्य स्तर पर एन0आई0सी0	*	*	*	*	*	*	*	*
11	प्रकिया का सम–सामयिक अनुश्रवण।	जनपद के साथ मंडल स्तर पर उपनिदेशक–पं0 एवं राज्य स्तर पर स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट	*	*	*	*	*	*	*	*
12	योजना अन्तर्गत वित्तीय व्यवस्था	एन0आई0सी0/ भारत सरकार के माध्यम से।	*	*	*	*	*	*	*	*